परामर्श पत्र संख्या – 08/2013

प्रसारकों से प्लेटफार्म ऑपरेटरों को टीवी चैनलों के वितरण पर परामर्श पत्र का सार

1. प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र में, प्रसारकों द्वारा टीवी चैनलों का वितरण स्वयं या अपने अधिकृत वितरक एजेंसियों के माध्यम से वितरक प्लेटफार्म को अर्थात् केबल टीवी, डीटीएच, आईपीटीवी, हिट्स आदि को किया जा रहा है। इस प्रकार की कई एजेंसियां, एक से अधिक प्रसारकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य कर रही हैं ।

2 एक या एक से अधिक प्रसारकों से वितरण अधिकार प्राप्त करने के उपरांत, ऐसी वितरण एजेंसियां ऐसे बुके तैयार करती हैं, जिसमें एक या एक से अधिक प्रसारकों के चैनल शामिल होते हैं। वे संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्तावों(आरआईओ) का प्रकाशन, बुके/चैनलों के लिए विभिन्न वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों के साथ मोलभाव तथा उनके साथ अंतःसंयोजन करार करते हैं ।

3. प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र, एक विषय–वस्तु(कार्यक्रम) संचालित बाजार है। जब तक एक वितरण प्लेटफार्म, प्रासंगिक बाजार में सभी लोकप्रिय चैनलों को प्रसारित नहीं करता, तब तक वह एक कामयाब वितरण प्लेटफार्म नहीं हो सकता है। आज की तिथि में, एचडी टीवी चैनलों सहित कुल पे टीवी बाजार का लगभग 73 प्रतिशत वितरण करोबार, गिनती की कुछ अधिकृत वितरण एजेंसियों द्वारा नियंत्रित है। इन अधिकृत वितरण एजेंसियों द्वारा वितरित किए जा रहे चैनलों में, लगभग सभी लोकप्रिय पे टीवी चैनल शामिल हैं। इन अधिकृत वितरण एजेंसियों के पास पर्याप्त मोल–भाव का अधिकार है, जिसका दुरूपयोग हो सकता है एवं अक्सर ऐसा किया जाता है, जिससे बाजार में कई विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं ।

4. प्रसारकों तथा उनके अधिकृत वितरण एजेंसियों के लिए निर्धारित विद्यमान विनियामक तथा अधिकृत वितरण एजेंसियों की वर्तमान भूमिका एवं कार्यकलापों ने वर्तमान विनियामक तंत्र की समीक्षा करने की आवश्यकता को बल दिया है। जबकि इसकी जांच की जा रही थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने भादूविप्रा को एक संदर्भ भेजा है, जिसमें इस प्रकार की एजेंसियों की कार्यप्रणाली से संबंधित कई शिकायतों की बात कही गई है, जैसे कि प्रसारकों द्वारा एमएसओ को निश्चित पैकेजों का थोपा जाना । प्रसारकों की प्रमुख वितरण एजेंसियों का अधिकांश लोकप्रिय चैनलों पर नियंत्रण होने के कारण, उनकी एकाधिकार कार्यप्रणाली के विरोध में विभिन्न एमएसओ एवं एलसीओ द्वारा पुरजोर आवाज उठाई गई है।

5. प्रसारकों की अधिकृत एजेंसियों द्वारा वर्तमान में अदा की जा रही भूमिका के कारण उत्पन्न मुद्दों का निराकरण करने के लिए विनियामक तंत्र में संशोधन कर कुछ प्रावधानों को जोड़ना आवश्यक है, जिसमें प्रसारकों द्वारा अपने अधिकृत वितरण एजेंसियों को विभिन्न प्लेटफार्म ऑपरेटरों को चैनल

वितरण हेतु दी गई भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकरण हो। इन भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का निम्नानुसार सार किया जा सकता है :–

(1) प्रसारक (न कि अधिकृत वितरण एजेंसी) अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) प्रकाशित करें तथा वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों के साथ अंतःसंयोजन करार करें ।

(2) यदि प्रसारक द्वारा किसी व्यक्ति को अपने अधिकृत वितरण एजेंट के रूप में नामित किया जाता है, तो उसके द्वारा निम्न सुनिश्चित किया जाए –

(क) अधिकृत वितरण एजेंट द्वारा टीवी चैनलों का वितरण करते समय, प्रसारक द्वारा तैयार बुके की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा,

(ख) अधिकृत वितरण एजेंट द्वारा एक प्रसारक के बुके या चैनलों को, अन्य प्रसारकों के बुके या चैनलों के साथ संयोजित (बंडल) नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि अधिकृत वितरण एजेंसी द्वारा एक से अधिक प्रसारकों की एजेंसियां धारित की गई हैं तो, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे प्रसारकों के प्रस्तावों(बुके, चैनल आदि) को परस्पर जोड़ा (लिंक) नहीं जाएगा,

(ग) अधिकृत वितरण एजेंट के रूप में कार्यरत रहते हुए, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रसारक के लिए, उसकी ओर से एवं उसके नाम पर कार्य किया जाएगा ।

6. संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्तावों (आरआईओ) पर नए सिरे से कार्य करने, अंतःसंयोजन करार करने तथा उसे भादूविप्रा के पास प्रस्तुत करने हेतु तीन माह की समयावधि का प्रस्ताव किया गया है ।

7. तद्नुसार, एड्रेसेबल एवं गैर–एड्रेसेबल प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं, दोनों के लिए टैरिफ आदेश, अंतःसंयोजन एवं अंतःसंयोजन के रजिस्टर विनियमों में संशोधन के मसौदे के साथ विस्तृत व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है। इन संशोधनों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 27 अगस्त, 2013 तक आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, श्री वसी अहमद, सलाहकार(बीएंडसीएस), दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली–110002 (दूरभाष संख्या 011–23237922, फैक्स नंबर – 011–23220442) को ईमेल traicable@yahoo.co.in पर प्रेषित की जाएं । प्राप्त होने वाली टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।